

[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना संख्या 02/2025 - प्रतिकर उपकर (दर)

नई दिल्ली, दिनांक 17 सितंबर, 2025

सा.का.नि.....(अ).- माल और सेवा कर (राज्यों को प्रतिकर) अधिनियम, 2017 (2017 का 15) की धारा 8 की उप-धारा (2) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार, परिषद की सिफारिशों के आधार पर, एतद्वारा, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 1/2017- प्रतिकर उपकर (दर), दिनांक 28 जून, 2017, जिसे भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में सा.का.नि. 720(अ), दिनांक 28 जून, 2017 के तहत प्रकाशित किया गया था, में और आगे भी निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्: -

उक्त अधिसूचना में,

अनुसूची में, -

- i. क्रम सं. 2 के सामने, कॉलम (4) में प्रविष्टि के स्थान पर, "शून्य" प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाएगी;
- ii. क्रम सं. 3 के सामने, कॉलम (4) में प्रविष्टि के स्थान पर, "शून्य" प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाएगी;
- iii. क्रम सं. 4 के सामने, कॉलम (4) में प्रविष्टि के स्थान पर, "शून्य" प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाएगी;

- xvi. क्रम सं. 52ख के सामने, कॉलम (4) में प्रविष्टियों के स्थान पर, "शून्य" प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाएगी;
- xvii. क्रम सं. 53 के सामने, कॉलम (4) में प्रविष्टियों के स्थान पर, "शून्य" प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाएगी;
- xviii. क्रम सं. 54 के सामने, कॉलम (4) में प्रविष्टियों के स्थान पर, "शून्य" प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाएगी;
- xix. क्रम सं. 55 के सामने, कॉलम (4) में प्रविष्टियों के स्थान पर, "शून्य" प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाएगी।

2. यह अधिसूचना 22 सितंबर, 2025 से लागू होगी।

[फा. सं. सीबीआईसी-190341/188/2025-टीआरयू]

(धीरज शर्मा)

भारत सरकार के अवर सचिव

टिप्पणी: मूल अधिसूचना संख्या 1/2017-उपकर (दर), दिनांक 28 जून, 2017, को भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में सा.का.नि. 720(अ), दिनांक 28 जून, 2017 के तहत प्रकाशित किया गया था, और अंतिम बार अधिसूचना संख्या 3/2023-उपकर (दर), दिनांक 26 जुलाई, 2023 द्वारा संशोधित किया गया था, जिसे भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में सा.का.नि. 553(अ), दिनांक 26 जुलाई, 2023 के तहत प्रकाशित किया गया था।

